कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tele- [illegible]
Fax- [illegible]
Email Id- [illegible]

पत्रांक 216 / पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड   दि0 30/03/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/8123/2014)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 48 / 2019 / एफ0सी0 / 730 दिनॉक 17.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा 6 विन्दुओ पर आपत्तियॉ के निस्तारण निम्नवत है।

क0 सं0	आपत्ति	सैदान्तिक स्वीकृति की शर्ते	निस्तारण
1	The Proposal is not received online. State Goverenment may submit the proposal online	–	इस खण्ड द्वारा प्रपोजल को ऑनलाईन करवाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 3277428.00 as per which the amount is deposited in the CAMPA.		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्साडौन के पत्रॉक 1728 / 12–1 दिनॉक लैन्साडौन 08.06. 2020 के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 3277428.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3193020.00 अर्थात कुल 6470448. 00 को भारत सरकार के कैम्पा में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्न :– ऑनलाईन बैबसाईड की छायाप्रति।) उपरोक्त का वृक्षारोपण का प्रावकलन गठन आपके स्तर से गठित किया जाना है।
3	In compliance to condition No. (ख) 3, name of the CA area has not been mentioned in undertaking. State govenement may submit an undetaking mentioning the name of the proposed CA area, that the selected CA area has not been proposed for any other proposal in past.	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रुपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफेकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भेल्दुगा की भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्साडौन के द्वारा आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना है।
4	State Government may submit the Khatuni in original		खतौनी को मूल में संलग्न किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड कोटद्वार(गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
MS
ASSISTANT ENGINEER
O ● ● D KOTDWARA

5	The compliance to condition No. 7 ha not been submitted. State Government may submit the DFO's Site Inspection Report of proposed road and CA area.		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के निरीक्षण की कार्यवाही की जानी है एवं समरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से प्रस्ताव गठन के समय निरीक्षण किया जा चुका है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न)
6	वन मंडल अधिकारी के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नही है कि सी0ए0 हेतु प्राप्त भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है अथवा संरक्षित वन तथा किस दिनॉक को? राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन एवं वन विभाग के उच्च स्तर से कार्यवाही की जानी है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

पत्रांक 216 / पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड तद्दिनांक..................

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार(पौडी गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
ASSISTANT ENGINEER
O. P. W. D. KOTDWARA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382-224570
Phone : 01382-229847
Fax : 01382-229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

बचनवद्वता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED
ASSISTANT ENGINEER
. . . KOTDWARA

ALL LETTER 6.DOCX

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्वता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

PHOTO COPY ATTESTED

ASSISTANT ENGINEER
. 0 . . . KOTDWARA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

☎ Tel- 01382-2224570
☎ Fax- 01382-2228847
E-mail Id- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 774/ नौगॉव बुकण्डी / वनभूमि दिनॉक 28/12/2020

सेवा में

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 48 / 2015–एफ0सी0 / 2765 दिनॉक 26.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.86 है0 सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

कम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	मान्य है।
3. प्रतिकपूरक वनीकरण		
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर **9.72 है0** गैर वानिकी भूमि ग्राम भेल्डुंगा प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	मान्य है।
ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपातरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफेकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावो में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करते हुये रिपोर्ट ई–पोटल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित उच्च स्तर से किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	मान्य है। जमा कर दिया गया है।
5. शुद्व वर्तमान मूल्य		
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनॉक 01.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रॉक 5–1 / 1198–एफ0सी0 दिनॉक 18.09.2003, 5–/ 2006–एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.2731 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	मान्य है
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। (वचन पत्र संलग्न है।)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यवर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	State Govt. will submit the DFO's Site Inspection Report of proposed road and CA in original	प्रस्ताव के साथ पूर्व में सलग्न है।

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के https://parivesh.nic.in/ माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगें।	जमा कर दिया गया है। (संलग्न है।)
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईसारसी मादंडो के अनुसार सडक के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधो की संख्या बढाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जांएगें।	मान्य है।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रामिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो की राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्ठादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेंगा।	मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एसी0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	मान्य है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोटल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तो का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करे एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेडो के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करे। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीध्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नः– 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पंत्राक 774/ नौगॉव बुकण्डी/वनभूमि तद्‌दिनॉक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– 1.–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग लैन्सडौन।
4. सहायक अभियन्ता – षष्ठ्‌म सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

F.R.A

P-50

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नाम:–प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव भुकण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 15.00 से कि0मी0 21.100 के अन्तर्गत सिविल भूमि 4.86 है0 का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण– पत्र

जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव बुकण्डी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.86 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

13.10.14
जिलाधिकारी

नोट– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाछिंत समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382-224570
Phone : 01382-229847
Fax : 01382-229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

बचनवद्वता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382-224570
Phone : 01382-229847
Fax : 01382-229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (4.86 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने/वचन बद्वता का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की मॉग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

ALL LETTER 6.DOCX

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	**CA:** 3277428/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3193020/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 6470448/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 30 Jun 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 01 Jul 2020 **Transaction Date** : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491216VOIZSCamScanne.pdf.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD81232014278)
2	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	**CA:** 1394716/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1922375/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 3317091/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Nov 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 18 Nov 2019 **Transaction Date** : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladanda_demand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD111392015577)

02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

संशोधित

आदेश

उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या–166 / र0का0 / 2018–19 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम नौगांव–बुकण्डी मोटर मार्ग पर कि0मी0 15.00 से 21.00 कि0मी0 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 9.720 है0राज्य सिविल भूमि विधिवत रूप स वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव–'बुकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 9.720 है0 भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच की गई। ग्राम बुकण्डी में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नही है,जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम भेलढुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला,तहसील यमकेश्वर में नॉन0जेड़0ए0 खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है0 भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी गौहरी रेंन्ज,राजस्व विभाग एवं पी0 एम0 जी0 एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया,चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गई है।

1– प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग,चारागाह,गौचर,पनघट,कब्रिस्तान आदि की भूमि नही है।

जनपद गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर के ग्राम भेलढुंगा पट्टी तल्ला उदयपुर तहसील यमकेश्वर में नॉन0जेड़0ए0 खतौनी खाता संख्या– 05 मध्ये खसरा संख्या– 635 मध्ये 9.720 है0 भूमि कि श्रेणी–9(3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या–2452 /8–एल0ए0सी0–(2020–2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 ,2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव,राजस्व अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
5– उपजिलाधिकारी,यमकेश्वर।
6– प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण,लैन्सडोन वन प्रभाग कोटद्वार।

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियन्ता IV
पी०एम०जी० ०वाई०सिं०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

नकल खतौनी NON.Z.A

…ाम - गोलढुंगा, पट्टी - उदयपुर तल्ला, तहसील - यमकेश्वर गढ़वाल,

2	3	4	5	6	7	8—21
5	बंजर		635 782 802 ↓	10.337 ×		मु० आ० तहसीलदार यमकेश्वर दि० 03-12-2020 के आदेश जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल के प०-6528/18-एन०एच०सी०-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20 2020 परवाना-आदेश [illegible] कारी यमकेश्वर ने अपने पत्र संख्या-(C6)/2018-19 के द्वारा अपनी जाँच आख्या से अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी० एस०वाई० सिविल खण्ड कोटद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम-तैड़ाव व कुठी मोटर मार्ग पर किमी० 15.00 से 21.00 किमी० के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 0.320 हे० राज्य सिविल भूमि लिखित रूप से वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है, उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ने अपनी आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तैड़ाव-कसमेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक स्थल हेतु 0.320 हे० भूमि [illegible] के आधार पर स्थलीय जाँच की गयी, ग्राम कसमेड़ा में क्षतिपूरक स्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण उसके स्थान पर ग्राम गोलढुंगा पट्टी उदयपुर तल्ला तहसील यमकेश्वर में जे०ड०-ए० खतौनी खाता-05 महये खसरा संख्या-635 महये 0.320 हे० भूमि की श्रेणी-5(3) 3 अन्य खेती योग्य बंजर भूमि प्रस्तावित की गयी है, प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण [illegible] के वन क्षेत्राधिकारी [illegible] रेंज [illegible] विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई० सिविल खण्ड कोटद्वार के द्वारा किया गया सम्बन्धित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है, 1. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग चारागाह, गोचर, पनघट, कब्रिस्तान आदि की भूमि नहीं है, अतएव गढ़वाल में तहसील यमकेश्वर के ग्राम गोलढुंगा में पट्टी उदयपुर तल्ला, तहसील यमकेश्वर में जे०ड०-ए० खतौनी खाता सं० 05 महये खसरा संख्या 635 महये 0.320 हे० भूमि की श्रेणी-5(3)3 अन्य खेती योग्य बंजर भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, ह०- (धीराज सिंह गर्ब्याल) जिलाधिकारी गढ़वाल 20 नवम्बर 2020,
			1606 1620	.028 .535		
			- 28	13.535		

मथेष्य, नकल असल से की गयी है,

छायाप्रति सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०
कोटद्वार (गढ़वाल)

(… सिंह गुसाँई)
राजस्व उपनिरीक्षक
उदयपुर तल्ला - 02/03
… पौड़ी गढ़वाल

उद्धरण NON Z.A खतौनी नकल

ग्राम - मेलढुँगा पट्टी - तल्ला उदयपुर II तहसील - यमकेश्वर जिला - पौड़ी गढ़वाल

क्रमांक	खतौनी खाता सं०	खातेदार या काबिज का नाम/पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं०	क्षेत्रफल	तौक	अन्य विवरण	
		खाते ६ (२) का	अन्य श्रेणी बंजर कंजर भूमि				
1	5	बंजर	635	10.337	पलावडा		

नोट :- खसरा नं० 635 के मध्ये 9.72 हेक्टयर भूमि प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल उत्तराखण्ड की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु, नकल तैयार की गई है।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

हस्ताक्षरित सत्यापित
02/02/2021
सहायक अभियंता VI
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
(गढ़वाल)

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

0 0.5 1 1.5 Km

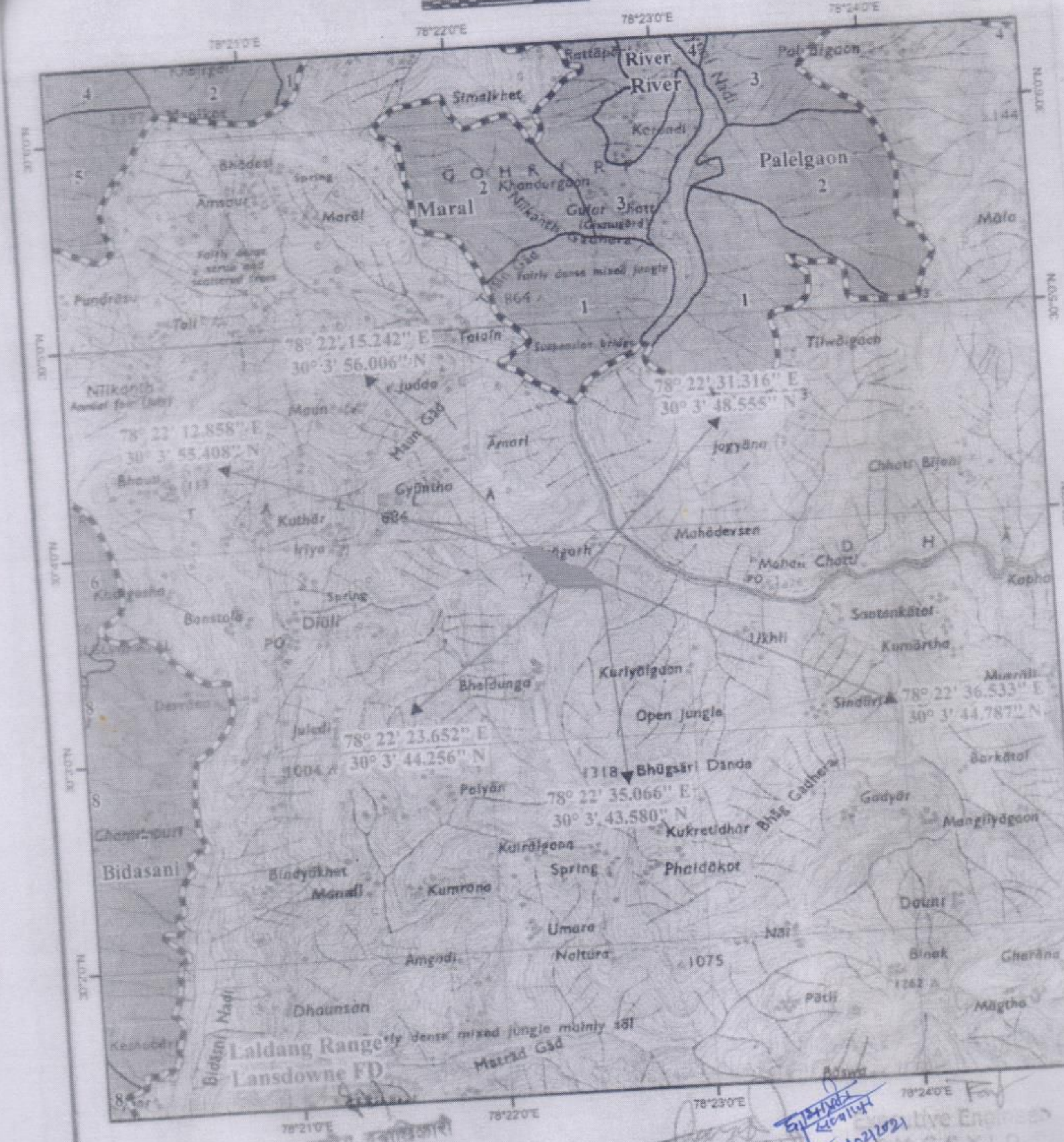

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्री० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता VI

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत नौगांव–बुकण्डी (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (भेलढुंगा सिविल क्षे0– 09.972 है0)

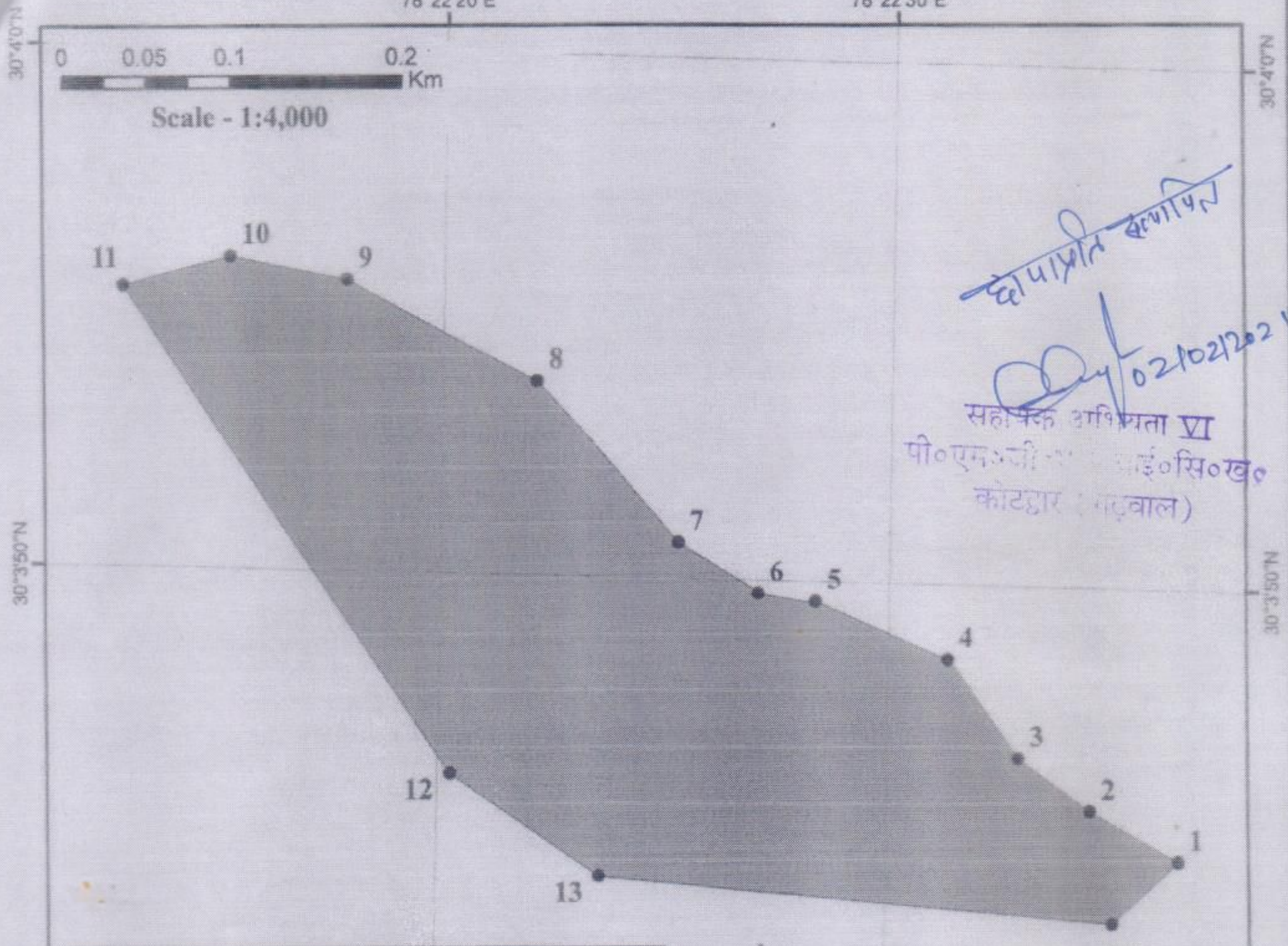

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 22' 36.533" E	30° 3' 44.787" N
2	78° 22' 34.526" E	30° 3' 45.713" N
3	78° 22' 32.921" E	30° 3' 46.694" N
4	78° 22' 31.316" E	30° 3' 48.555" N
5	78° 22' 28.373" E	30° 3' 49.621" N
6	78° 22' 27.103" E	30° 3' 49.736" N
7	78° 22' 25.303" E	30° 3' 50.697" N
8	78° 22' 22.102" E	30° 3' 53.743" N
9	78° 22' 17.835" E	30° 3' 55.613" N
10	78° 22' 15.242" E	30° 3' 56.006" N
11	78° 22' 12.858" E	30° 3' 55.408" N
12	78° 22' 20.281" E	30° 3' 46.141" N
13	78° 22' 23.652" E	30° 3' 44.256" N
14	78° 22' 35.066" E	30° 3' 43.580" N

J.E

Executive Engineer

जिलाधिकारी
गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
मोहरी रेन्ज

Legend
GPS Points
Proposed Land

78°22'20"E 78°22'30"E

पत्रांक सं० ...966.........
दि० ...29/06/22.........

Phone & Fax no. 0135-2658294
E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 3253/12-1 दिनांक, देहरादून, 23. जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौगांव-बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु स्थानान्तरण। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/8123/2014).

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपतियों आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन के पत्रांक 1873/12-1 दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र0	आपत्ति	निस्तारण
1	The proposal is not received online. State Government may submit the proposal online.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 3277428.00 as per which the amount is deposited in the CAMPA	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 3277428.00 कैम्पा फण्ड में ऑनलाईन जमा कर दी गई है। (संलग्नक-01)
3	In compliance to condition No. 3, name of the been mentioned in undertaking. State government may submit an undertaking mentioning the name of proposed CA area, that the selected CA area has not been proposed of any other proposal in past.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, गढ़वाल के आदेश सं0-R-452/8-एल0ए0सी0(2020-2021)/2018 दि0 20.11.20 से वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल भूमि को शा0 सं0-1566/14-2-97-800(11)/1997 दि0 17.03.1997 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3214/12-1 दि0 17.06.2022 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-02)
4	State Government may submit the Khatauni in original	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा खतौनी की प्रति संलग्न की गई है। (संलग्नक-03)
5	The compliance to condition no. 7 ha., not been submitted. State government may submit the DFO's site inspection report of proposed road and CA area.	प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-04)
6	वन मंडल अधिकारी के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि सी0ए0 हेतु प्राप्त भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है अथवा संरक्षित वन तथा किस दिनांक को ? राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।	बिन्दु सं0-03 के अनुसार।

अतः कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Manoj
28/06/2022

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

P.T.O..

पत्रांक :-3253 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3214/12-1 दि0 17.06.2022 से जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मूल में।

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत **नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **9.720 है0** वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–भेल्डुंगा, पट्टी–तल्ला उदयपुर, तहसील–.यमकेश्वर, जिला पौडी गढवाल के नॉन0जेड0ए0 श्रेणी** 9 (3) ड़ अन्य खेती योग्य बंजर भूमि दर्ज अभिलेख, खाता सं0 – **05 मध्ये खसरा सं0 635 मध्ये 9.720 है0** भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 आर–452/8–एल0ए0सी0–(2020–2021) दिनॉक पौडी नवम्बर 20, 2020** के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869/F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1566/14–2–97–800 (II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन (गढवाल)

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड

पत्रॉकः–3214/12-1 दिनॉकित, देहरादून 17 जून 2022

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. – प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. – प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. – अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. – मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. – जिलाधिकारी पौडी गढवाल।
7. – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
8. – गार्ड बुक।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11142/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015) Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R	ROAD111422015408	6111142408	29 Apr 2020	CA: 5948600/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 38635980/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 44584580/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Jul 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2021 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111412101223 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
2	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	CA: 3277428/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3193020/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6470448/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 30 Jun 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Jul 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491216 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
3	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Mastkhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1922375/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3317091/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladan Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
4	FP/UK/ROAD/24764/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/24764/2017) Dwarikhal to Barsuri	ROAD247642017427	6124764427	07 Mar 2019	CA: 1300918/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1394154/- , 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- Total : 2695072/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 29 May 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 May 2019 Transaction Date : 12 Jun 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5112212321211 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
5	FP/UK/ROAD/11141/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11141/2015) T02 (ODR) to Manjokhi MR	ROAD111412015508	6111141508	17 Dec 2018	CA: 3153930/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 4781855/- , No : 0/- No : 0/- No : 0/- No : 0/- Total : 7935785/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Mar 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Apr 2019 Transaction Date : 02 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111412281211 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel- 01382-2224578
Fax- 01382-222847
E-mail Id- eepmgsykotdwar@rediffmail.com

पत्रांक 367/ पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड दि0 17/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/8123/2014)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2015/एफ0सी0/2765 दिनॉक 26.02.2020, पत्रॉक 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2019/एफ0सी0/730 दिनॉक 17.09.2021, इस कार्यालय के पत्रॉक 774/नौगॉव बुकण्डी/वनभूमि दिनॉक 28.12.2020 एवं 216/पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड दिनॉक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2015/एफ0सी0/2765 के द्वारा नौगॉव बुकण्डी मोटर मार्ग पर सैदान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सैदान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करते हुये इस कार्यालय के पत्रॉक सं0 774/नौगॉव बुकण्डी/वनभूमि दिनॉक 28.12.2020 के द्वारा संलग्नको सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

तत्पश्चात् भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रॉक 08बी0/यू0सी0पी0/06/48/2019/एफ0सी0/730 दिनॉक 17.09.2021 में 6 आपत्तियॉ दर्ज की गयी। जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रॉक 216/पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड दिनॉक 30.03.2022 के द्वारा संलग्नको सहित करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तो एवं आपत्तियो के निस्तारण की सत्यापित छायाप्रतियॉ 2 प्रतियों में पुनः संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पत्रांक 367/ पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड तद्दिनॉक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–
1.– अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून। संलग्नः– उपरोक्तानुसार 2 प्रतियों में
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौडी गढवाल।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड (देहरादून)
18-5-2022
प्राप्त किया
ह0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)